

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज,
गया।

पटना, दिनांक- ३ / ०१ / 2019

विषय:- अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया, विपत्र कोड-20-2210051050007 को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 7,57,10,000/- (रुपये सात करोड़ सन्तावन लाख दस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया को विपत्र कोड-20-2210051050007 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रू० 7,57,10,000/- (रुपये सात करोड़ सन्तावन लाख दस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक-06.05.06, 96/वि०(2), दिनांक-09.01.08 सह-पठित संकल्प सं०-2190/वि०(2), दिनांक-17.03.08, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दिनांक-18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0007-मगध मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050007 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

①

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जाएगी।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

4/11/19

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/अ0ना0म0मे0काँ0-01/2018- 87(1)50/स्वा0, पटना, दिनांक- 3/01/2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/जिलाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/11/19

सरकार के विशेष सचिव

मगध मेडिकल कॉलेज, गया, विपत्र कोड-20-2210051050007 को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	द्वितीय अनुपूर्क आगन से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0007.01.01 वेतन	235262000	51508000	286770000	235262000	51508000	286770000	0
0007.01.03 जीवन यापन भत्ता	26606000	3606000	30212000	26606000	3606000	30212000	0
0007.01.04 मकान किराया भत्ता	16841000	3568000	20409000	16841000	3568000	20409000	0
0007.01.05 परिवहन भत्ता	3011000	522000	3533000	3011000	522000	3533000	0
0007.01.06 चिकित्सा भत्ता	2364000	522000	2886000	2364000	522000	2886000	0
0007.01.07 अन्य भत्ता	33000	9000	42000	33000	9000	42000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	284117000	59735000	343852000	284117000	59735000	343852000	0
0007.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	600000	300000	900000	600000	300000	900000	0
0007.11.01 यात्रा व्यय	100000	300000	400000	100000	300000	400000	0
0007.13.01 कार्यालय व्यय	1000000	900000	1900000	1000000	900000	1900000	0
0007.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	200000	50000	250000	200000	50000	250000	0
0007.13.05 विधि प्रभार	200000	200000	400000	200000	200000	400000	0
0007.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	50000	75000	125000	50000	75000	125000	0
0007.20.02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	100000	50000	150000	100000	50000	150000	0
0007.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	1000000	600000	7000000	1000000	6000000	7000000	0
कुल योग:-	296367000	75710000	372077000	296367000	75710000	372077000	0

(रुपये सात करोड़ सन्तावन लाख दस हजार)

87(1) 80

7-01-19

4/1/19

सरकार के विशेष सचिव